Press Release

मंगलवार, 1 अगस्त, 2023 **तत्काल प्रकाशनार्थ**

नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र टाटा पावर-डीडीएल ने जारी की एडवाइज़री/परामर्श पतंगबाज़ी के शौकीनों को बिजली के इंस्टॉलेशंस के नज़दीक पतंग न उड़ाने और सुरक्षित रहने की सलाह

- कंपनी ने कई स्कूलों के साथ तालमेल कर बच्चों को भी पतंगबाज़ी संबंधी जरूरी बातों का पालन करने की सलाह दी, साथ ही, एफएम कैम्पेन के जरिए भी आम जनता को दिया सुरक्षित रहने का संदेश
- पतंग उड़ाने के दौरान सुरक्षा के उपायों को जानने के लिए टाटा पावर-डीडीएल के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जाएं
- बिजली की तारों पर धातु की परत चढ़े मांझे के लिपटने से अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं की बिजली आपूर्ति हो सकती है ठप्प
- विद्युत नेटवर्क से संबंधित किसी भी असुरक्षित स्थिति/अप्रिय घटना की सूचना हमारे **टोल-फ्री नंबर 19124 पर देने की अपील**
- सुरक्षित पतंगबाजी के टिप्स पाने के लिए टाटा पावर-डीडीएल के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर लॉग इन करें

नॉर्थ दिल्ली में 70 लाख से अधिक की आबादी को बिजली सप्लाई करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल ने 15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंगबाज़ी के दौरान बिजली संस्थापनाओं और ओवरहैड पावर लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। डिसकॉम ने लोगों को आगाह किया है कि बिजली के तारों से मैटल कोटिंग वाले मांझे के लिपटने से बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है और इसके कारण आवश्यक सेवाओं पर असर पड़ सकता है। यह स्थिति सभी के लिए असुविधा का कारण भी बन सकती है।

पतंग उड़ाने के लिए मैटल कोटिंग वाले मांझे का इस्तेमाल बिजली नेटवर्क के लिए ही खतनाक नहीं होता बल्कि बिजली का सुचालक होने के चलते इससे पतंग उड़ा रहे व्यक्ति के लिए भी खतरा बढ़ जाता है और उसे करंट लग सकता है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी में जगह-जगह पतंगें उड़ायी जाती हैं और ज़रा सी असावधानी होने पर बिजली सप्लाई में बाधा आती है। एक अनुमान के मुताबिक, 33/66 KV क्षमता की एक ओवरहैड लाइन के बाधित होने से करीब 10,000 बाशिंदों की पावर सप्लाई पर असर पड़ सकता है और 11 KV की एक लाइन के टूटने से 2,500 से अधिक बाशिंदों की बिजली सप्लाई प्रभावित होती है। पतंगबाजी की वजह से बिजली की तारों को होने वाले नुकसान को ठीक करने के लिए 15 मिनट से 2 घंटे तक का औसत समय लगता है।

हर साल, स्वतंत्रता दिवस के आसपास पतंग उड़ाने की वजह से तारों के टूटने और बिजली सप्लाई पर असर पड़ने की अनेक घटनाएं सामने आती हैं। याद रखें कि बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचाना और पावर सप्लाई बाधित करना विद्युत अधिनियम तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत् दंडनीय अपराध है। मैटल कोटिंग वाले मांझे के प्रयोग से इंसानों, पक्षियों तथा अन्य जीव-जंतुओं के जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है, यही कारण है कि सरकार द्वारा इसे 2017 में प्रतिबंधित किया जा चुका है। सरकारी आदेशानुसार, पतंगबाजी के लिए केवल सूती धागे का इस्तेमाल ही मान्य है क्योंकि इस पर किसी प्रकार के मैटल (धातु) की कोटिंग नहीं होती। टाटा पवर-डीडीएल को असुरक्षित ढंग से पतंगबाजी की वजह से आम जनता के लिए पैदा होने वाले खतरे और जान-माल की हानि का अंदाज़ा है और कंपनी इस बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए अपने कार्पोरेट शुभंकर रोशनी के माध्यम से नुस्खों तथा सावधानियों का पालन करने की जानकारी दे रही है। क्रिएटिव्स तथा शॉर्ट वीडियो आदि के माध्यम से यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही, डिस्कॉम स्कूली बच्चों को भी क्या करें, क्या न करें के बारे में जानकारी दे रही है ताकि वे पतंग उड़ाते समय इन बातों का ध्यान रखकर खुद को तथा अपने आसपास अन्य लोगों एवं बिजली के इंस्टॉलेशंस को सुरक्षित बनाए रख सकें। कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को इस विषय में जागरूक बनाने के लिए अपने वितरण क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर बैनर भी प्रदर्शित किए हैं।

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र, कंपनी की ऑपरेशंस एवं मेंटीनेंस टीमें लगातार पतंगबाजी संबंधी घटनाक्रमों एवं आपातकालीन स्थितियों पर निगरानी रख रही है। उपभोक्तओं भी इस बारे में असुरक्षित स्थितियों तथा अन्य किसी अप्रिय घटना की जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 19124 से 24x7 संपर्क कर सकते हैं। टाटा पावर-डीडीएल सभी के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है और हम अपने उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वे पतंग उड़ाने के चलते पैदा होने वाली किसी भी खतरनाक स्थिति से खुद को तथा अपने प्रियजनों को हर संभव तरीके से बचाकर रखें।

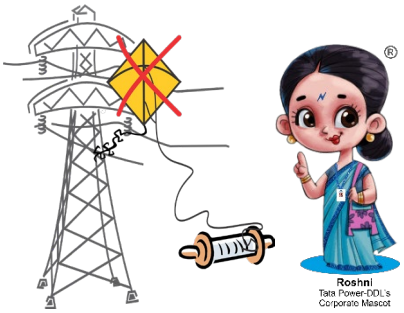

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश:

- बिजली के इंस्टॉलेशंस तथा ओवरहैड पावर लाइनों के नज़दीक पतंगबाजी नहीं करें।
- मैटल कोटिंग वाले मांझे का इस्तेमाल न करें क्योंकि इसमें उलझकर बिजली की तारें टूट सकती हैं या बिजली गुल हो सकती है और करंट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है
- बिजली की तारों के नीचे या आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
- आपके घरों के नज़दीक स्थिति इलैक्ट्रिकल सब स्टेशन से आपके परिसर में बिजली सप्लाई होती है, कृपया अनिधकृत तरीके से उसमें प्रवेश नहीं करें।
- बिजली के खंभों या इलैक्ट्रिक हाउस की बाड़ से अपने पालतू जानवरों को नहीं बांधे।
- बिजली के तारों पर कपड़े न सुखाएं।

टाटा पावर-डीडीएल के बारे में

टाटा पावर-डीडीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और टाटा पावर का ज्वाइंट वैंचर है। कंपनी नॉर्थ दिल्ली में करीब 7 मिलियन की आबादी के लिए पावर सप्लाई करती है। टाटा पावर-डीडीएल बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधारों के स्तर पर अग्रणी है और इसे उपभोक्ता केंद्रित व्यवहारों के लिए जाना जाता है। निजीकरण के बाद से टाटा पावर-डीडीएल के वितरण इलाकों में एटीएंडसी नुकसान में रिकॉर्ड कमी आयी है। और सभी वर्टिकल्स में एडवांस्ड टैक्नोलॉजी अपनाकर बिजली वितरण के परिदृश्य में व्यापक बदलाव लया है। वर्तमान में एटीएंडसी नुकसान 6.8% है, जिसमें जुलाई 2002 में 53% के शुरुआती नुकसान में अप्रत्याशित कमी दर्ज की गई है।

और जानकारी के लिए देखें www.tatapower-ddl.com

For further information please contact:
Corporate Communications:

Sonia Sarin (9910292599)